भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 341

सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा

341. श्री मारगनी भरत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम केवल 'प्रतिष्ठानों' में कार्यरत महिलाओं को कवर करता है और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश महिलाएं इससे वंचित हैं;

(ख) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को उक्त लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करने वाली अन्य योजनाएं जैसे असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कार्य की उपलब्धता, रोजगार की अवधि और नियोक्ता कर्मचारी संबंध का अभाव के कारण गंभीर बाधक बन गए हैं;

(घ) इन मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार की इन विभिन्न विधानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को उनको प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करने की निगरानी के लिए कोई केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने की कोई योजना हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के माध्यम से यथासंशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 बच्चे के जन्म से पहले और बाद में कुछ निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं के नियोजन को विनियमित करने और प्रसूति प्रसुविधा तथा कुछ अन्य लाभ प्रदान करने हेतु अधिनियम है।

यह अधिनियम सरकार के किसी भी प्रतिष्ठान सहित प्रत्येक कारखाना, खदान या बागान प्रतिष्ठान पर लागू होता है और प्रत्येक उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जहां व्यक्तियों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य प्रदर्शनों की प्रदर्शनी के लिए नियोजित किया जाता है; तथा जिस राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में किसी भी कानून के दायरे के अंतर्गत प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान के लिए जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन में नियोजित थे।

जारी..2 /-

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत कवर किए गए महिला कामगारों को प्रसूति प्रसुविधा भी प्रदान की जाती है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान की हकदार प्रत्येक महिला को इस अधिनियम के तहत कवर किया जाता है जब तक कि वह ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने के लिए योग्य नहीं हो जाती है।

संसद द्वारा दिनांक 28.09.2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस) पारित की गई है। संहिता में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 सहित विभिन्न मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समामेलित किया गया है।

संहिता में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत कवर महिला कामगारों को प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है, जिसे भी संहिता में समामेलित कर लिया गया है। ईएसआई योजना मौसमी कारखाने को छोड़कर प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होती है जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हो।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहले से ही असंगठित क्षेत्र के तहत महिला कामगारों को स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम प्रावधान हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 45 और धारा 109 (1) में पहले से ही इन कामगारों के लिए स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा सहित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने के संबंध में उपबंध है।

संहिता की धारा 1(7) में किसी प्रतिष्ठान को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए स्वैच्छिक कवरेज का भी उपबंध है। यह संहिता अभी तक लागू नहीं की गई है।

******